

संख्या: 343/87-अति०ऊ०स्रो०वि०/2024

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव / सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ: दिनांक: 14 मार्च, 2024

विषय:- उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश संख्या-340/87-अति०ऊ०स्रो०वि०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 द्वारा "उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 " निर्गत की गयी है। नीति की प्रति उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के Official Website पर उपलब्ध है।

2. कृपया "उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024" में अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,



(महेश कुमार गुप्ता)


अपर मुख्य सचिव।

संख्या-313 (1)/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2024 एवं तद् दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1- मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ०प्र० ।
- 3- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन ।
- 4- निजी सचिव, मा० मंत्री / मा० राज्य मंत्री, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र० ।
- 5- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 6- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 7-अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8-प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 9- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्वेस्ट यू.पी.।
- 10- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 11- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 12- प्रबन्ध निदेशक-समस्त डिस्काम, उत्तर प्रदेश।
- 13- निदेशक, उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)।
- 14- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।
- 15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(सर्वेश कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या-340/87-अति०ऊ०स्रो०वि०/2024

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,  
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ: दिनांक: 14 मार्च, 2024


विषय:- उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के क्रियान्वयन के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5263/यूपीनेडा/ग्रीन हाइड्रोजन-नीति/2022-  
दिनांक 04-01-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा " उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 " निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। कृपया संलग्न नीति में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रख्यापित नीति की 300 प्रतियां शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यथा आवश्यक इस नीति का अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी अनुवाद कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,



(महेश कुमार गुप्ता)

अपर मुख्य सचिव।